



{रिट याचिका (सेवा) सं.6790/2017}

2025: सीजीएचसी:23372-डीबी

1

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) सं.6790/2017

आदेश सुरक्षित किया गया :30-4-2025

आदेश पारित किया गया:12-6- 2025

प्रह्लाद अंगुरे, पिता स्वर्गीय शोभा राम अंगुरे, 57 वर्ष, पूर्व प्रधान सिपाही वर्तमान निवास न्यू पुलिस लाइन, दुर्ग,
तहसील तथा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

----- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, प्रधान सचिव के द्वारा, गृह विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नई रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
3. पुलिस महानिरीक्षक, रेंज दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. पुलिस अधीक्षक, बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़।

-----उत्तरवादी

याचिकाकर्ता हेतु :--श्री टी. के. झा, अधिवक्ता।

उत्तरवादी/राज्य हेतु :--श्री अरविंद दुबे, शासकिय अधिवक्ता।

युगल पीठ :-

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री संजय कुमार जयसवाल, न्यायाधीश

सी. ए. वी आदेश

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश के अनुसार

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए, याचिकाकर्ता ने पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिनियमित छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमों के विनियम 270 की संवैधानिक वैधता पर प्रश्न उठाया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत शक्तियों का प्रयोग भी किया है।

2. उपरोक्त चुनौती निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर दी गई है:---

3. याचिकाकर्ता यहां हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। पुलिस अधीक्षक/अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई और पूर्ण अनुशासनात्मक कार्यवाही के पश्चात्, दिनांक 19-7-2016 के आदेश द्वारा, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उसे कांस्टेबल के पद पर प्रतिवर्तित कर दिया। आदेश या प्रतिवर्तन से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी अर्थात् पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष अपील की, तथापि, विभाग ने याचिकाकर्ता पर प्रतिवर्तन का दंड लगाने के विरुद्ध कोई अपील नहीं की और याचिकाकर्ता द्वारा की गई अपील में, पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस विनियमावली के विनियम 270 के अंतर्गत स्वप्रेरणा से पुनरीक्षणात्मक शक्ति का प्रयोग करते हुए दंड में वृद्धि हेतु नोटिस जारी किया, जिस पर याचिकाकर्ता ने 8-10-2016 को उत्तर प्रस्तुत किया, जिस पर विचार करने के पश्चात्, पुलिस महानिरीक्षक ने विनियम 270(1) के अंतर्गत प्रदत्त पुनरीक्षणात्मक शक्ति का प्रयोग करते हुए, याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया। पुलिस महानिदेशक द्वारा पारित दिनांक 9-10-2017 के आदेश द्वारा उनकी दया अपील भी खारिज कर दी गई है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी के साथ-साथ पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश को भी चुनौती दी है, जिन्होंने पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करके उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था और उन्होंने पुलिस विनियमों के विनियम 270(1) की संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाया है, विशेष रूप से अपीलीय प्राधिकारी के पास पुनरीक्षण शक्ति निहित करने को असंवैधानिक और प्रकृति में भेदभावपूर्ण बताया है। सभी परिणामी लाभ प्रदान करने के लिए भी प्रार्थना की गई है, क्योंकि इस बीच, याचिकाकर्ता पहले ही सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका था।



5. राज्य/उत्तरवादीगण द्वारा जवाब दाखिल किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी - पुलिस महानिरीक्षक ने पाया कि प्रत्यावर्तन का आदेश विभागीय जांच में सिद्ध पाए गए कदाचार के आरोपों के अनुरूप नहीं है, पुलिस विनियमों के विनियम 270 में निहित प्रावधानों के तहत, सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया, हालांकि, पुलिस विनियमों के विनियम 270 की संवैधानिक वैधता पर प्रश्न उठाया गया है, लेकिन, विनियम 270 की संवैधानिक वैधता को चुनौती का समर्थन करते हुए कोई विशिष्ट उत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

6. श्री टी.के. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता , श्री झा ने प्रस्तुत किया कि पुलिस विनियमन के विनियमन 270 में अपीलीय प्राधिकारी को स्वप्रेरणा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार प्रदान करना स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है, क्योंकि यह पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वप्रेरणा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए बेलगाम शक्ति और अप्रतिबंधित क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, क्योंकि अपीलीय प्राधिकारी पुनरीक्षण प्राधिकारी भी होता है, लेकिन प्रत्यावर्तन के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता की विभागीय अपील पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं किया गया और स्वप्रेरणा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, हालांकि सुनवाई का अवसर दिया गया है। वैकल्पिक रूप से, विद्वान वकील श्री झा ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने पुलिस महानिरीक्षक अर्थात् अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की थी और विभाग ने प्रत्यावर्तन के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की थी, क्योंकि प्रत्यावर्तन का आदेश अपर्याप्त था और याचिकाकर्ता के विरुद्ध सिद्ध किए गए उसके कदाचार के अनुरूप नहीं था, इसलिए, अपीलीय प्राधिकारी/पुलिस महानिरीक्षक, जो अपीलीय प्राधिकारी-सह-पुनरीक्षण प्राधिकारी है, के लिए स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का आह्वान करना संभव नहीं था। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता मकेश्वर नाथ श्रीवास्तव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 1 मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय का उल्लेख करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 27(2) में निहित प्रावधानों का पालन किए बिना ही, उक्त आदेश पारित किया गया है। उन्होंने अंततः यह भी कहा कि पुलिस विनियमावली के विनियम 270 को निरस्त किया जाए और रिट याचिका को भी स्वीकार किया जाए।

7. राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद दुबे ने आक्षेपित आदेशों का समर्थन किया तथा प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध सिद्ध पाए गए कदाचार को देखते हुए, उस पर लगाया गया दंड अपर्याप्त था, इसलिए, पुलिस विनियमन के विनियमन 270(1) के तहत पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए पुनरीक्षण प्राधिकारी ने उसे सेवा से हटाने का आदेश पारित किया है, जो पूरी तरह से विधि के अनुरूप है। उन्होंने आगे कहा कि विनियम 270(1) भी काफी लंबे समय से कानून की किताब में है और इसे पुलिस अधिनियम के तहत अधिनियमित किया गया था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आक्षेपित विनियम पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य में और अब छत्तीसगढ़ राज्य में भी 1-11-2000 से प्रभावी थे। इस प्रकार, रिट याचिका दोनों बिंदुओं पर खारिज किए जाने योग्य है।



8. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वंद्वी निवेदनों पर विचार किया है और अत्यंत सावधानी के साथ रिकॉर्ड का भी अध्ययन किया है।

9. पक्षों की ओर से किए गए निवेदनों के तहत, विचार के लिए निम्नलिखित दो प्रश्न उठते हैं:---

"1. क्या छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन का विनियम 270(1) जो अपीलीय प्राधिकारी को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, असंवैधानिक है और निरस्त किए जाने योग्य है?

2. यदि नहीं, तो क्या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दण्ड को प्रत्यावर्तन से बर्खास्तगी तक बढ़ाने का आदेश मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित है?"

प्रश्न संख्या 1 का उत्तर :-

10. अधीनस्थ विधान की संवैधानिक वैधता के निर्धारण के सिद्धांत पर सर्वोच्च न्यायालय ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बियानी शिक्षण समिति एवं अन्य 2 के मामले में विचार किया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अधीनस्थ विधान की संवैधानिकता या वैधता के पक्ष में सदैव एक पूर्वधारणा होती है और जो इस पर आपत्ति करता है, उसे यह सिद्ध करने का दायित्व उस पर है कि यह अमान्य है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के अनुच्छेद 27 और 28 में निम्नलिखित निर्णय दिया:

- "27. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अधीनस्थ विधान पर उन सभी आधारों पर प्रश्न उठाया जा सकता है जिन पर पूर्ण विधान पर प्रश्न उठाया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस पर इस आधार पर भी प्रश्न उठाया जा सकता है कि यह उस विधान के अनुरूप नहीं है जिसके अंतर्गत इसे बनाया गया है। इस पर इस आधार पर भी प्रश्न उठाया जा सकता है कि यह किसी अन्य विधि के विपरीत है। यद्यपि इस पर अनुचितता के आधार पर भी प्रश्न उठाया जा सकता है, परंतु ऐसी अनुचितता इस अर्थ में नहीं होनी चाहिए कि यह उचित नहीं है, बल्कि इस अर्थ में होनी चाहिए कि यह स्पष्टतः मनमाना है। 28. उक्त मामले में इस न्यायालय ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अधीनस्थ विधान को मनमानेपन के आधार पर चुनौती देने के लिए, ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब यह पाया जाए कि यह कानून के अनुरूप नहीं है या यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसा केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि यह उचित नहीं है या इसमें उन सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा गया है जिन्हें न्यायालय सुसंगत मानता है।"

11. छत्तीसगढ़ पुलिस विनियम के विनियम 270 में निम्नानुसार प्रावधान है:---



"270. (1) दंड या दोषमुक्ति का प्रत्येक आदेश, चाहे वह मूल हो या अपीलीय, आदेश देने वाले प्राधिकारी से वरिष्ठ किसी प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। (2) अंतिम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक अपीलीय आदेश, उस व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध आदेश पारित किया गया है, उस निमित्त आवेदन किए जाने पर, ऐसे अंतिम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण:—इस खंड के प्रयोजन के लिए, "अंतिम अपीलीय प्राधिकारी" पद का तात्पर्य पुलिस विनियम 262 के अंतर्गत अपील की सुनवाई के लिए अधिकृत अंतिम प्राधिकारी से है।

(3) विनियम 266, 267, 268 और 271 के प्रावधान पुनरीक्षण आवेदन पर यथासंभव लागू होंगे।

(4) पुनरीक्षण प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, अधिरोपित दंड को दोषमुक्त कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है या उसे बढ़ा सकता है या मामले में आगे साक्ष्य लेने के लिए नए सिरे से जांच का आदेश दे सकता है:

परंतु कि वह किसी आदेश में तब तक परिवर्तन या उलटफेर नहीं करेगा जब तक कि संबंधित पक्षों को नोटिस न दे दिया गया हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।"

12. इस प्रकार, पुलिस विनियम के विनियम 270 में निहित प्रावधान वैधानिक प्रकृति के हैं और इस प्रकार छत्तीसगढ़ पुलिस विनियम भी वैधानिक विनियम हैं।

13. पुलिस विनियमों के विनियम 270(1) का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होगा कि दंड या दोषमुक्ति का प्रत्येक आदेश, चाहे वह मूल हो या अपीलीय, आदेश देने वाले प्राधिकारी से वरिष्ठ किसी भी प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। विनियम 270(3) में प्रावधान है कि विनियम 266, 267, 268 और 271 के प्रावधान पुनरीक्षण के लिए आवेदन पर यथासंभव लागू होंगे। विनियम 270(4) के अनुसार, पुनरीक्षण प्राधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से दोषमुक्त कर सकता है या अधिरोपित दंड में परिवर्तन या वृद्धि कर सकता है या संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद मामले में आगे साक्ष्य लेने के लिए नए सिरे से जांच का आदेश दे सकता है। इस प्रकार, पुनरीक्षण की स्वप्रेरणा शक्ति केवल आदेश देने वाले प्राधिकारी से वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा ही प्रदत्त और प्रयोग की जा सकती है, चाहे वह मूल हो या अपीलीय। अपीलीय प्राधिकारी को स्वप्रेरणा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार प्रदान करने के पीछे उद्देश्य और प्रयोजन निरंतर पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार प्राप्त करना है ताकि न्याय की चूक को रोका जा सके या प्रक्रिया की अनियमितता को ठीक किया जा सके या न्याय प्रदान किया जा सके और न्याय की चूक को रोका जा सके या निचले प्राधिकारियों द्वारा न्यायिक प्रक्रिया में की गई अनियमितताओं/गलतियों को ठीक किया जा सके। हालाँकि, इस स्वप्रेरणा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग



संबंधित प्राधिकारी द्वारा अधिकांश उपयुक्त मामलों में संयम और सावधानी से किया जाना चाहिए और इसे यंत्रवत् रूप से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

14. ये विनियम पुलिस अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किए गए हैं। इसलिए, ये विनियम वैधानिक विनियम हैं।

15. उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम बाबू राम उपाध्याय 3 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों पर विचार किया और यह अभिनिर्धारित किया है कि पुलिस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम एक स्व-निहित संहिता हैं जो पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया निर्धारित करती है।

यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि जहाँ उपयुक्त प्राधिकारी पुलिस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही करता है, उसे उस कानून या नियमों के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए जिन्होंने उसे उक्त कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान की है। प्रतिवेदन के कंडिका 23 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:---

“(23) XXX XXX XXX

“किसी कानून के तहत बनाए गए नियमों को निर्माण या दायित्व के सभी उद्देश्यों के लिए ठीक उसी तरह माना जाना चाहिए जैसे कि वे अधिनियम में हैं और उनका प्रभाव वैसा ही होना चाहिए जैसे कि वे अधिनियम में निहित हों, और निर्माण या दायित्व के सभी उद्देश्यों के लिए न्यायिक रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए: “ मैक्सवेल “ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ़ स्टैच्यूज़”, 10 वां संस्करण देखें, पृष्ठ 50-51। वैधानिक नियमों को प्रशासनिक निर्देशों के रूप में वर्णित या उनके समकक्ष नहीं माना जा सकता है। यदि ऐसा है, तो पुलिस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम एक स्व-निहित संहिता का गठन करते हैं जो पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया निर्धारित करती है। इसका अर्थ यह है कि जहां उपयुक्त प्राधिकारी पुलिस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है, उसे उस कानून या नियमों के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए, जिन्होंने उसे उक्त कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की है।”

16. वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता ने पुलिस विनियमन के विनियमन 270(1) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने की मांग की है, जो अपीलीय प्राधिकारी को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, इस आधार पर कि यह वास्तविक कर्मचारियों को विभागीय अपील दायर करने से रोकेगा, क्योंकि स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए सजा में वृद्धि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है, और यह अपीलीय प्राधिकारी को बेलगाम शक्ति प्रदान करता है और सजा के खिलाफ अपील दायर करने में दोषी कर्मचारी में भय की भावना पैदा करता है, इसलिए, यह प्रावधान मनमाना, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है।



17. याचिकाकर्ता का उपरोक्त तर्क कि पुलिस विनियमों का विनियम 270 असंवैधानिक है, अस्वीकार किए जाने योग्य है, क्योंकि अपीलीय प्राधिकारी को उचित मामले में प्रयोग किए जाने हेतु स्वप्रेरणा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया गया है, जिसमें पाया गया है कि मूल प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिया गया दंड, जैसा भी मामला हो, सिद्ध कदाचार के लिए पूरी तरह से अनुपातहीन है और उसकी अंतरात्मा को झकझोर देती है और वह भी पुलिस विनियमों के विनियम 270(4) के अनुसार दोषी कर्मचारी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद और इतना ही नहीं, इसके अलावा, हालांकि स्वप्रेरणा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए पुलिस विनियमों में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन पुलिस विनियमों में प्रावधान के अभाव में, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के नियम 29(1)(iii) में निहित प्रावधान लागू होगा, जिसके द्वारा पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने के लिए आदेश का पुनर्विलोकन प्रस्तावित है (देखें भारत संघ एवं अन्य बनाम विक्रम भाई मगनभाई चौधरी 4)। विनियमन बनाने वाले प्राधिकरण तथा इसलिए, संबंधित कर्मचारी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् तथा वह भी निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वतः संज्ञान क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए।

18. उपर्युक्त कारणों से, पुलिस विनियमों का विनियम 270(1) जो अपीलीय प्राधिकारी को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, वह अन्तर्राज्यीय है और न तो मनमाना है और न ही भेदभावपूर्ण है और इसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। अतः, प्रथम प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

प्रश्न संख्या 2 का उत्तर:

19. यह स्वीकार किया गया , इस मामले में, याचिकाकर्ता को नियमित विभागीय जांच में कदाचार का दोषी पाया गया था और उसे पुलिस अधीक्षक के आदेश से हेड कांस्टेबल के पद से कांस्टेबल के पद पर वापस कर दिया गया था, जिसके खिलाफ केवल याचिकाकर्ता ने पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष अपील की थी और विभाग ने अपीलीय प्राधिकारी अर्थात् पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष अपील में नहीं लिया।

20. याचिकाकर्ता ने पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित दिनांक 19-7-2016 के प्रत्यावर्तन आदेश के विरुद्ध पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष 7-8-2016 को अपील प्रस्तुत की, लेकिन पुलिस महानिरीक्षक ने अपीलीय प्राधिकारी होने के नाते याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील पर गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया और सीधे स्वप्रेरणा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए 21-9-2016 को नोटिस जारी कर दिया, जिस पर याचिकाकर्ता ने 8-10-2016 को जवाब प्रस्तुत किया और अंततः 19-10-2016 को पुलिस महानिरीक्षक ने याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया और उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया।

21. इस स्तर पर, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 27(2) (क) एवं (ख) में निहित प्रावधानों पर ध्यान देना उचित होगा, जो निम्नानुसार प्रावधान करते हैं:---

"27. अपील पर विचार -

(1) xxx xxx xxx



(2) नियम 10 में निर्दिष्ट किसी दंड को अधिरोपित करने या उक्त नियमों के अंतर्गत अधिरोपित किसी दंड को बढ़ाने वाले आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में, अपीलीय प्राधिकारी निम्नलिखित पर विचार करेगा-

- (क) क्या इन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है और यदि नहीं, तो क्या ऐसे अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है या न्याय में विफलता हुई है;
- (ख) क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं; और

(ग) **xxx xxx xxxxxxx xxx xxx**

xxxxx

xxx xxx "

22. अपीलीय प्राधिकारी को सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 27(2) के अनुसार अपीलार्थी/याचिकाकर्ता की अपील पर विचार करना अपेक्षित था तथा अपीलीय प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित था कि, सर्वप्रथम, क्या नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है, यदि नहीं, तो क्या ऐसे गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है या न्याय में विफलता हुई है; तथा द्वितीयतः, क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित हैं; और यदि निष्कर्ष नकारात्मक में दर्ज किए जाते हैं, तो यह प्रश्न कि क्या लगाया गया दंड अर्थात् सिद्ध कदाचार पर प्रत्यावर्तन अन्यायपूर्ण और अनुचित है, जिसके लिए पुलिस विनियम के विनियम 270(1) के तहत स्वप्रेरणा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का आह्वान किया जाना आवश्यक है, पर विचार किया जाना चाहिए और उसके बाद, पुलिस विनियम के विनियम 270(4) के तहत दंड बढ़ाने के लिए नोटिस जारी किया जा सकता था और याचिकाकर्ता को सुनने के बाद दंड बढ़ाने का आदेश पारित किया जा सकता था, लेकिन इस प्रक्रिया का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता द्वारा 7-8-2016 को अपील दायर करने पर, पुलिस महानिरीक्षक ने सीधे दंड बढ़ाने के लिए नोटिस जारी किया और 19-10-2016 को सेवा से बर्खास्तगी का दंड लगाया और इस प्रकार, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के नियम 27(2)(ए) और (बी) के अनुसार अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता की अपील पर विचार नहीं किया गया, जिससे याचिकाकर्ता को भारी नुकसान हुआ है।

23. ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलीय प्राधिकारी ने स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार प्राप्त करते हुए याचिकाकर्ता को रिश्वत स्वीकार करने के आरोप पर कड़ी सजा दी है, जिसे अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा सिद्ध पाया गया। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में, उनसे अपेक्षा की गई थी कि वे पक्षपात और पूर्वाग्रह से मुक्त होकर कार्य करें और उन्हें सीसीए नियमों के नियम 27(2) के तहत अपेक्षित योग्यता के आधार पर अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील पर विचार करना चाहिए था, जिसमें निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन दर्ज किया गया था और यह भी देखा गया था कि क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष रिकॉर्ड



पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर उचित हैं और यदि वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी के कदाचार का निष्कर्ष विधि के अनुसार है, तो उन्हें याचिकाकर्ता की सजा बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए था। यहां अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता की अपील पर गुण-दोष के आधार पर विचार न करना तथा सीसीए नियमों के नियम 27(2) के अनुसार अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग किए बिना तथा अपील पर गुण-दोष के आधार पर विचार किए बिना अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष को यंत्रवत् स्वीकार कर लेना, यहां अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता के लिए प्रतिकूल है, क्योंकि अपील पर गुण-दोष के आधार पर विचार किए बिना, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया गया है, जबकि विभाग द्वारा दंड में वृद्धि की मांग करते हुए कोई अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह एक ऐसा मामला है, जिसमें अपीलीय प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई अपील पर स्वप्रेरणा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है, लेकिन साथ ही, अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता की अपील, जो कि पुलिस विनियमों के अंतर्गत की गई वैधानिक अपील है, पर सीसीए नियमों के नियम 27(2) के अनुसार उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए था और कदाचार सिद्ध होने के संबंध में अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष को कायम रखने के बाद ही, स्वप्रेरणा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में दंड में वृद्धि के प्रश्न पर स्वप्रेरणा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार प्राप्त अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता था, अतः उक्त प्रक्रिया का पालन न करने से याचिकाकर्ता को गंभीर नुकसान हुआ है और उसकी वैधानिक अपील पर विचार किए बिना ही खारिज कर दिया गया है, विशेष रूप से, विभाग ने दंड को सिद्ध कदाचार के अनुपात से अधिक बताते हुए उसके पुनरीक्षण आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की।

24. परिणामस्वरूप, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पारित आदेश और पुलिस महानिदेशक द्वारा पारित परिणामी आदेश को एतद्वारा रद्द किया जाता है और मामला पुलिस महानिरीक्षक को सीसीए नियमों के नियम 27(2) के अनुसार अपील पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने के लिए भेजा जाता है और यदि अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता और विभाग को सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से पूरी तरह पुष्ट होते हैं, तो वह स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार लागू करने और नोटिस जारी करके दंड में वृद्धि के प्रश्न पर विचार करेगा और कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा। चूंकि मामला पुराना है, इसलिए इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार महीने के भीतर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। तदनुसार, दूसरे प्रश्न का उत्तर याचिकाकर्ता के विरुद्ध तथा उत्तरवादी /राज्य के पक्ष में दिया जाता है।

25. पूर्वोक्त कारणों से, रिट याचिका को ऊपर वर्णित सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।



26. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है तथा अपीलीय प्राधिकारी को विधि के अनुसार अपील पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करने की स्वतंत्रता है।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/-
(संजय कुमार जयसवाल)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक



{रिट याचिका (सेवा) सं.6790/2017}

2025: सीजीएचसी:23372-डीबी

*प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और
कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*

